



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department
निदेशालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

सेवा मे

1. प्रबन्ध निदेशक, हैफेड, सैक्टर-5 पंचकुला।
2. प्रबन्ध निदेशक, एच.डब्ल्यू.सी., सैक्टर-2 पंचकुला।
3. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा क्षेत्र, पंचकुला।
4. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य मे ।
5. सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, हरियाणा राज्य मे।

यादि क्रमांक एफ.पी.-1-2021/3297

दिनांक चण्डीगढ 19.02.2021

विषय:- रबी खरीद सीजन 2021-22 के दौरान गेहूँ की खरीद के लिए खरीद एजेन्सियों के मध्य मण्डीयों/खरीद केन्द्रों मे परिचालित किए जाने वाले दिनों के आवंटन बारे ।

उपरोक्त विषय के संदर्भ मे ।


रबी खरीद सीजन 2021-22 के दौरान गेहूँ की खरीद के लिए खरीद एजेन्सियों के मध्य मण्डीयों/खरीद केन्द्रों का आवंटन किया गया है। आवंटित मण्डीयों/खरीद केन्द्रों मे कुछ Exclusively तथा कुछ Jointly परिचालित की जाएगी। खरीद एजेन्सीयों को आवंटित मण्डीयों एवं परिचालित किए जाने वाले दिनों की सूचि संलग्न की जाती है। विवरणी मे दर्शाए गए दिनों एवं चिन्हों को निम्न अनुसार पढा जाए:-

Mandi allotted Exclusively *

Mandi allotted Jointly

- | | | |
|-----------|-------------|-----------|
| 1. सोमवार | 2. मंगलवार | 3. बुधवार |
| 4. वीरवार | 5. शुक्रवार | 6. शनिवार |

उपरोक्त के इलावा मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पूर्व वर्षों की तरह, रविवार के दिन क्षेत्रीय कार्यालय/मण्डीयों को खोलने का निर्णय लिया गया है इसलिए जिस एजेन्सी को खरीद के लिए शनिवार का दिन अलाट है, वही एजेन्सी रविवार को भी मण्डी मे गेहूँ की खरीद करेगी ।


उप निदेशक (खरीद)


कृते: निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता मामले, हरियाणा ।

पृ0 क्रमांक एफ.पी.-1-2021/3298

दिनांक चण्डीगढ 19.02.2021

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंवम आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला ।
2. महानिदेशक, कृषि एवं किसान विभाग, हरियाणा, पंचकुला ।
3. आयुक्त अम्बाला डिवीजन अम्बाला, रोहतक डिवीजन रोहतक, हिसार डिवीजन हिसार तथा गुरुग्राम डिवीजन गुरुग्राम।


उप निदेशक (खरीद)

कृते: निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता मामले, हरियाणा ।



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department
निदेशालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

पू0 क्रमांक एफ.पी.-1-2021/3299

दिनांक चण्डीगढ 19.02.2021

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाती है:-

1. वरिष्ठ सचिव/उप मुख्य मंत्री एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री, हरियाणा।
2. निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।
3. निजी सचिव/निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा ।
माननीय उप मुख्य मंत्री एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग व निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सूचना हेतु।

उप निदेशक (खरीद)

कृते: निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता मामले, हरियाणा ।